ISSN: 2454-9940

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SCIENCE ENGINEERING AND MANAGEMENT

E-Mail :
editor.ijasem@gmail.com
editor@ijasem.org

www.ijasem.org

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SCIENCE ENGINEERING AND MANAGEMENT

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर एक अध्ययन नारी शक्ति

श्रीमती I प्रवीणा.ए., एम.ए.हिन्दी.,*1, श्रीमती। माधवी लता.बी., एम.ए.हिन्दी., * 2

संक्षेप:

महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बहुपक्षीय और गहरे समस्या है जो भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतर को पार करती है। इस चुनौती के सामने, महिलाओं की शक्ति, या हिंदी में "नारी शक्ति", समाजों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। इस लेख में, हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की अभ्यंतरता पर चर्चा करेंगे, "नारी शक्ति" की अवधारणा को प्रस्तुत करेंगे, और इसके निरोधण और रोकथाम के लिए आवश्यक उद्देश्यों की परिचय प्रस्तुत करेंगे।

परिचय:

महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बहुपक्षीय समस्या है जिसमें विभिन्न प्रकार के हिंसा, भेदभाव और शोषण शामिल हैं। यह समस्या घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर मानव तस्करी और जेंडर-आधारित हिंसा तक फैलती है। सामाजिक प्रभाव गहरा है, जिससे कि पीड़ितों के अलावा समुदायों की समृद्धि और प्रगति पर भी प्रभाव होता है।

"नारी शक्ति" का अभिप्रेत भाषा में महिलाओं की सशक्तिकरण की अवधारणा है, जिसमें उनकी शक्ति, सहनशीलता और समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने की क्षमता को जोर दिया जाता है। महिलाओं को शक्तिशाली बनाना केवल एक नारा नहीं है; यह समस्या के मूल कारणों का सामना करने और महिलाओं को भय और हिंसा से मुक्त जीने की स्थिति बनाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।

*1. हिन्दी के व्याख्याता, सिवा सिवानी डिग्री कॉलेज, कोम्मेपल्ली, सिकंदराबाद-100.
*2. हिन्दी के व्याख्याता, सिवा सिवानी डिग्री कॉलेज, कोम्मेपल्ली, सिकंदराबाद-100.

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

उद्देश्य:

1. **जागरूकता बढ़ाना:** महिलाओं के खिलाफ अपराध के खिलाफ एक प्रमुख उद्देश्य है साक्षरता को बढ़ाना, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर। शिक्षा अभियान, कार्यशाला, और समुदाय संपर्क कार्यक्रम लोगों को महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न प्रकार के हिंसा और भेदभाव के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जागरूकता बढ़ाकर, समाज इन अपराधों की नींवों को छूने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता विकसित कर सकता है।
2. **कानूनी सुधार:** महिलाओं के खिलाफ अपराध की समस्याओं को हल करने के लिए कानूनी नीतियों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें मौजूदा कानूनों की समीक्षा और संशोधन शामिल है, साथ ही नए कानूनों की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों को तेजी से सुलझाने और न्यायपालिका को सकारात्मक रूप से कार्रवाई करने के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली बनाए रखना आवश्यक है।
3. **समर्थन प्रणालियों को मजबूती देना:** महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों के लिए मजबूत समर्थन प्रणालियां स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हेल्पलाइन्स, परामर्श सेवाएं, और उन महिलाओं के लिए आश्रय शामिल हैं जो सहारा और सहायता की तलाश में हैं। पीड़ितों को प्रेरित करने के लिए एक ऐसे वातावरण को बनाए रखना, जहां वे घातक कार्रवाई के बिना आगे बढ़ सकती हैं, इस समस्या के मूल कारणों का सामना करने में मदद कर सकता है।
4. **शिक्षा पहलुओं की पहुंच को बढ़ाना:** महिलाओं के खिलाफ अपराध को सामने करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें शिक्षा कार्यक्रम, कला, और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्थन, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए योजनाएं शामिल हैं।

महिला का देवी रूप:

हिन्दू धर्म में देवियाँ बहुत सामान्य हैं। अन्य विचारों में अर्धनारीश्वर जैसे अंड्रोजेनस

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

अवधारणा भी मिलती है (एक समकक्ष देवता जो आधा शिव-पुरुष और आधा पार्वती-स्त्री है), या रूपहीन और लैंगिकहीन ब्रह्म (सर्वव्यापी परम, सर्वोच्च स्वयं को एकता में)।

ऋग्वेद:

रिगवेद का एक श्लोक कहता है कि सभी विभिन्न देवताएँ केवल एक सत्य (एकम सत) के विवरण हैं, और यह यदि नपुंसक लिंग में है, तो यह इस बात को बढ़ावा देने के लिए है कि भगवान पुरुष नहीं हैं। लेकिन बाद में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण, महिलाएँ अपनी स्थिति खो बैठीं और उन्हें पृष्ठमूल्यों में बैठा दिया गया। कई बुरी आदतें और परंपराएँ आईं जिनसे महिलाएँ गुलाम हो गईं और उन्हें घर की सीमाओं से बाँध दिया गया।

मनुस्मिति:

"तत्र रमन्ते देवता यथा यत्र नार्यस्तु पूजा,

यथा यत्रैतास्तु सर्वास्तत्र फलः क्रियाः।।"

अर्थात् जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवत्व खिलता है और जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां सभी कार्य चाहे कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों, निष्फल ही रहते हैं।

अर्थशास्त्र:

अर्थशास्त्र, अध्याय 1.21 में उन महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है जिन्होंने सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी और राजा की रक्षा के लिए सेवा की थी; पाठ में महिला कारीगरों, भिक्षुकों और उन महिलाओं का भी उल्लेख है जो भ्रमणशील तपस्वी/योगी थीं।

महिलाओं के खिलाफ अपराध: नारी शक्ति

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SCIENCE ENGINEERING AND MANAGEMENT

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

रामायण और महाभारत:

दो हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत में महिलाओं की भूमिका मिश्रित है।

पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में रचित रामायण में, सीता को आदर, सम्मान और अविभाज्य प्रिय के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्हें एक गृहिणी, आदर्श पत्नी और राम की साथी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

रामायण:

रामायण में, सीता पर गलत तरीके से संदेह किया गया और सार्वजनिक रूप से कटु शब्दों से उनका अपमान किया गया और राम की निर्विरोध चुप्पी ने उन्हें आग की लपटों के हवाले कर दिया। पूरी तरह से जाति और भावनात्मक रूप से समर्पित पत्नी के साथ राम के व्यवहार की भी कुछ लोगों द्वारा आलोचना की जाती है, हालांकि उनके कृत्य के लिए अलग-अलग संस्करण भी हैं।

रामायण में मर्यादा पुरूषोत्तम राम का एकमात्र कार्य जो संदिग्ध था।

महाभारत:

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

महाभारत में मुख्य महिला पात्र, द्रौपदी का विवाह सभी पांच पांडवों से हुआ था, इस प्रकार उसके पांच पति हैं। महान युद्ध (महाभारत) के कारणों में से एक, दुर्योधन द्वारा उसका अपमान किया गया था।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध - मध्यकालीन काल:

गुप्त युग में महिलाओं की स्थिति वास्तव में खराब हो गई थी, सामान्य शिक्षा के माध्यम से उच्च जन्म की महिलाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती थी, एक नियम के रूप में महिला लोक जो बहुत पहले वैदिक शिक्षा का अधिकार खो चुकी थी, उसे कभी वापस नहीं मिला। वास्तव में, उनसे संबंधित कई समारोहों में वैदिक मंत्रों का जाप भी वर्जित था। जीवन में उसकी एकमात्र चिंता, संक्षेप में, अपने पति के कल्याण को बढ़ावा देना होना चाहिए।

मध्य युग में महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट देखी गई। इस काल में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा, जौहर, सती और दासता प्रमुख सामाजिक बुराइयाँ थीं। बेटी का जन्म दुर्भाग्य माना जाता था। नारी को स्वतंत्रता देना विनाश समझा जाता था। भारत में मुगल काल के दौरान, देश में विदेशियों के आक्रमण ने महिलाओं के जीवन की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया क्योंकि आक्रमणकारी अक्सर उन्हें अपने साथ ले जाते थे। इस प्रकार एक महिला एक "वस्तु" बन गई और इसलिए उसे परिवार के लिए संपत्ति के बजाय एक दायित्व माना जाने लगा।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा - मध्यकालीन काल:

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

1. जैसा कि हमने देखा है, मुस्लिम विजय ने बड़े पैमाने पर महिलाओं का आत्मदाह (जौहर) करना शुरू कर दिया, विशेषकर राजपूतों के बीच, जो इसे आक्रमणकारियों द्वारा पकड़े जाने से कम बुराई मानते थे।
2. दहेज की प्रथा भारतीय नारीत्व पर अभिशाप है। यह आमतौर पर कन्या भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार था।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध-अर्थ:

"महिलाओं के विरुद्ध अपराध" शब्द का अर्थपूर्ण अर्थ महिलाओं के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शारीरिक या मानसिक क्रूरता है। वे अपराध जो "विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ निर्देशित" होते हैं और जिनमें "केवल महिलाएं पीड़ित होती हैं" उन्हें महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में जाना जाता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा- संयुक्त राष्ट्र परिभाषा:

संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा को "लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन, या मानसिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकियां, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है।" स्वतंत्रता, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी जीवन में।"

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: मुख्य तथ्य:

1. महिलाओं के खिलाफ हिंसा - विशेष रूप से अंतरंग साथी हिंसा और यौन हिंसा एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है और महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
2. 2.डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित अनुमानों से संकेत मिलता है कि विश्व स्तर पर लगभग 3 में से 1 (33%) महिलाएं अपने जीवनकाल में या तो शारीरिक और/या यौन अंतरंग साथी हिंसा या गैर-साथी यौन हिंसा का शिकार हुई हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध: चरण

- चरण 1: भ्रूणहत्या और शिशुहत्या - जहां बेटों के लिए आर्थिक या सांस्कृतिक प्राथमिकता है, गर्भावस्था निदान उपकरण कन्या भ्रूणहत्या का कारण बन सकते हैं
- स्टेज 2: स्कूल जाने की उम्र- कई लड़कियों को लड़कों की तुलना में उचित प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

तक पहुंच और पूरा नहीं किया जाता है और अन्यथा उन्हें अपने पालन-पोषण में माता-पिता और शिक्षकों के हाथों भेदभाव का भी सामना करना पड़ सकता है।

- स्टेज 3: किशोरावस्था- कई किशोर लड़कियां इंटरनेट और अन्य तरीकों से यौन शोषण, शोषण और हिंसा, एसिड हमले, बलात्कार, कम उम्र में शादी या यहां तक कि एचआईवी/एड्स का शिकार हो जाती हैं।
- स्टेज 4: विवाह- कई महिलाओं को शादी के बाद उनके पति और ससुराल वालों द्वारा शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।
- चरण 5: मातृत्व-महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद कभी-कभी उचित चिकित्सा देखभाल और स्वस्थ भोजन नहीं दिया जाता है। उसे अक्सर कन्या भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया जाता है।
- चरण 6: कार्यस्थल- अक्सर महिलाएं शोषण, समान काम के लिए असमान वेतन, योग्यता के बावजूद पदोन्नति की कमी और शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक शोषण से पीड़ित होती हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध:कानूनी प्रावधान

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी):

- कुल अध्याय 23 और इसमें कुल 511 खंड हैं।
- अध्याय XVI - जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध
- धारा- 299-377 (कुल 79 धाराएं)

"ये सभी बातें महिलाओं पर भी लागू होती हैं"

महिलाओं के खिलाफ अपराध: सुरक्षा के लिए कानून

- अपहरण (धारा 359,360,366)
- छेड़खानी (धारा 509)
- चेन स्नैचिंग (धारा 378)
- बलात्कार (धारा 376,376ए,376बी,376सी,376डी)
- घरेलू हिंसा एवं क्रूरता (धारा 498ए)
- एसिड अटैक (धारा 326ए,326बी)
- पीछा करना (धारा 354डी)
- शील भंग करने के लिए हमला, यौन उत्पीड़न और कपड़े उतारने का इरादा (धारा 354, 354ए, 354बी)
- महिला तस्करी (धारा 370,370ए,372,373)

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SCIENCE ENGINEERING AND MANAGEMENT

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

भारत में महिला विशिष्ट विशेष कानून:

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) (1986 में संशोधित)
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा:

- आधिकारिक आंकड़ों में महिलाओं के बीच लिंगानुपात, स्वास्थ्य स्थिति, साक्षरता दर, कार्य भागीदारी दर और राजनीतिक भागीदारी में गिरावट देखी गई है। वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न हिस्सों में दहेज हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला श्रमिकों का शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों का प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है।
- और ये सभी मामले पिछले कुछ वर्षों में बड़े हुए हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध: व्यापकता

- 3 में से 2 महिलाओं ने बताया कि उन्हें साल में 2-5 बार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा
- 5 में से 3 महिलाओं ने न केवल अंधेरे के बाद बल्कि दिन के समय भी यौन उत्पीड़न की शिकायत की
- बड़ी संख्या में पुरुषों और 'आम गवाहों', जो कि 10 में से 9 हैं, ने अंधेरे के बाद और दिन के समय महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं देखी हैं।
- 68% को किसी न किसी तरह से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा
- असंगठित क्षेत्रों में 15-19 आयु वर्ग की महिला श्रमिक विशेष रूप से असुरक्षित हैं।
- सार्वजनिक परिवहन, बसें और सड़क किनारे ऐसे स्थान हैं जहां महिलाओं को उच्च स्तर के यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है
- उत्पीड़न के सामान्य रूप- मौखिक (टिप्पणियाँ करना), दृश्य (घूरना और

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

घूरना) और शारीरिक (छूना/टटोलना, झुकना आदि)

- लांसेट में प्रकाशित 2014 के एक अध्ययन में कहा गया है, "जबकि देश [भारत] में यौन हिंसा का 8·5% प्रसार दुनिया में सबसे कम है, अनुमान है कि यह भारत में 27·5 मिलियन महिलाओं को प्रभावित करेगा [भारत की बड़ी संख्या को देखते हुए जनसंख्या]।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध-2023:

- महिलाओं के खिलाफ अपराध- 2023 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 (4,05,326 मामले) की तुलना में 8.3% की गिरावट दर्शाता है।
- आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (30.0%) के बाद दर्ज किए गए, इसके बाद 'महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला' (23.0%), 'महिलाओं का अपहरण और अपहरण' (16.8%) और 'बलात्कार' (7.5%)। प्रति लाख महिला जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर 2022 में 62.3 की तुलना में 2023 में 56.5 थी।

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध (2023) - संख्या में शीर्ष 5 शहर:

श्रेणी	शहर	निरपेक्ष संख्या
1.	दिल्ली	9782
2.	मुंबई	4583
3.	बेंगलुरु	2730
4.	हैदराबाद	2390
5.	जयपुर	2369

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध (2023) - दर में शीर्ष 5 शहर:

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

श्रेणी	शहर	दर
1.	लखनऊ	190.7
2.	जयपुर	162.9
3.	इंदौर	129.7
4.	दिल्ली	129.1
5.	नागपुर	75.3

भारत में महिलाओं के विरुद्ध प्रमुख यौन अपराध के आँकड़े:

अपराध	2018	2019	2020
तिलहन	33356	32032	28046
दर्शनरति	1393	1336	1260
पीछा	9438	8810	8512
चीरहरण	9949	9119	10580

हत्या के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार शीर्ष 5 शहर:

श्रेणी	शहर	संपात
1.	मुंबई	3
2.	इंदौर	3
3.	अहमदाबाद	1
4.	बेंगलुरु	1
5.	दिल्ली	1

दहेज से होने वाली मौतें (2020) शीर्ष 5 शहर:

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

श्रेणी	शहर	संपात	दर
1.	लखनऊ	48	3.5
2.	पटना	24	2.5
3.	कानपुर	30	2.2
4.	इंदौर	20	1.9
5.	जयपूर	26	1.4

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- पीड़ित महिलाओं के लिए संक्रमणकालीन आवास सहायक कार्यक्रम अनुदान।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए अनुदान और उप अनुदान प्रदान किए गए।
- महिला हिंसा रोकने का अवसर.
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए वित्तीय सहायता।
- पीड़ित ग्रामीण महिला की सहायता हेतु अनुदान।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित अस्तित्व कानून को सख्ती से लागू किया।
- प्रशासन और पुलिस को अपराध का पता लगाने और जांच करने में अधिक सुरक्षात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
- शिकायत दर्ज करने की त्वरित और आसान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर मौजूद होने चाहिए।
- रात्रि में गश्त बढ़ाएं।
- अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- आगे उत्पीड़न से बचने के लिए दहेज संबंधी मामलों का शीघ्रता से निपटारा किया जाना चाहिए

सुझाव:

- कुछ आत्मरक्षा प्रशिक्षण लें और मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में शामिल हों।
- एक काली मिर्च स्प्रे और स्टन गन ले जाएं।
- यदि आप किसी भी प्रकार के अपराध से पीड़ित हैं तो एफआईआर दर्ज कराएं।

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करें।
- जागरूकता पैदा करने और फैलाने में बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करना।
- विधिक एवं साक्षरता जागरूकता शिविरों का आयोजन।

निष्कर्ष:

भारत, वह देश जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता था, आज असहाय हैं और कमजोर समझी जाती हैं। पितृसत्ता ने यह स्थापित कर दिया है कि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं और केवल आनंद और संतुष्टि की वस्तु बनकर रह गई हैं।

कड़ी सजा वाले कई कानूनी प्रावधानों के बावजूद भारत अभी भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में असमर्थ है। महिलाओं को जीवन के सभी चरणों और सभी क्षेत्रों में इन अपराधों का सामना करना पड़ता है। भारत में बढ़ते अपराध के कारण बलात्कार एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। युवा वयस्कों के बीच पीछा करना और बदले की भावना से अश्लील साहित्य का चलन चरम पर है। उपरोक्त तथ्यों और आँकड़ों से हम एक मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी क़ानून या क़ानून से ज़्यादा समाज की मानसिकता में क्रांति की ज़रूरत है।

महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराध के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानूनी या सामाजिक अनिवार्यता नहीं है; यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है. "नारी शक्ति" का उपयोग करने में हिंसा और भेदभाव को कायम रखने वाली संरचनाओं को खत्म करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हुए महिलाओं की ताकत और लचीलेपन को स्वीकार करना शामिल है। सुझाए गए उपायों को लागू करके और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देकर, समाज ऐसे वातावरण बना सकते हैं जहां महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और अपराध के बंधनों से मुक्त महसूस करें।

संदर्भ:

- महिलाओं के खिलाफ अपराध. संदर्भ नोट नं. 2/आरएन/रेफरी/ 2013. लोकसभा सचिवालय, एन-दिल्ली।
- राधा आर. विभिन्न युगों में भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जे बेसिक एप्लाइड रेस इंटरनेशनल 2019;9(6):149-53।
- भारत में अपराध 2020। एनसीआरबी, सरकार। भारत का, 2021।
- संयुक्त राष्ट्र। (2019)। "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर वैश्विक डेटाबेस।" https://evaw-global-database.unwomen.org/

ISSN2454-9940
www.ijsem.org
Vol 10, Issuse. 3 Sep 2019

- भारत सरकार। (2021)। "राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो: भारत में अपराध 2020।" https://ncrb.gov.in/en/crime-india-2020
- कबीर, एन. (2005). "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 1 का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण।" लिंग एवं विकास, 13(1), 13-24.